कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

वादी श्री नाना विपक्षी श्री हीरालाल

क्रम मुकदमा राजस्व वाद मत्रावली संख्या 31 सन् 2014

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	30/5 पत्रावली पेश हुई। वादी–प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक / कानुन व्यवस्था, भ्रमण ~~[illegible]~~ होने से पत्रावली दिनांक 14/5/15 को पेश होवे। आज्ञा से रीडर उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव	
	14/5/15 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। जवाब हेतु मौका चाहते हैं पत्रावली आगामी दिनांक 9/7/15 को पेश हो।	
	30/6/2015 पत्रावली आज लोक अदालत कोम्प्रोमाइज होना होने मुद्दा पेश हुई। वादी नाना पिता [illegible] एवं प्रतिवादी हीरालाल - नाना - रामलाल - हीरा - श्रीमति कमली व कोमली उपस्थित। लोक अदालत की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत मुडर एवं गाँव के मौतबीरान व पक्षकारों के बीच सुलह हेतु समझाईश की गई। क्रम पीठासीन अधिकारी तथा ग्राम पंचायत मुडर के हस्ताक्षर के साथ भूमि के पट्टा लेकर इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 31/2014 व 31/2014 में निहित विवाद को मौके पर दोनों वाद के पक्षकारों के साथ समझाया गया। वाद संख्या 31/2014 व 1.क० के 15/2014 ग्रा०प०	

उनका श्री नाना राम देवीलाल-वादी
के काफी श्री नाना बिला मीणा की मांग
यह है कि वे अपने मकान से नहर को
पार कराते हुये मुख्य गाँव से होकर सागर तालाब
तक जाने वाली सड़क " तक आने-जाने हेतु रास्ता
की खाली खाली खसरा नं. 7097 में से रास्ता
छोड़ना है काफी श्री मांग पर वाद संख्या
6/2014 व पंचायत स्तर पर समझौता किया गया
श्री नाना राम व श्री देवीलाल
के मध्य समझौता की गई जिसमें
दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुये कि
श्री नाना बिला मीणा तथा उनके परिवारजन
व उनके मवेशी श्री नाना के मकान से नहर
को पार कर श्री देवीलाल बिला मीणा के
मकान के पास निर्मित पक्के चबूतरे के
सहारे होकर चबूतरे के आगे तथा देवीलाल
के मुख्य मकान के पीछे से होकर " मुख्य
गाँव से होकर सागर तालाब तक जाने वाली
सड़क " तक आना जाना कर सकेंगे। इसमें
इस वाद संख्या 6/2014 के प्रतिवादीगण
श्री देवीलाल कोई अवरोध उत्पन्न
नहीं करेंगे।

इसी प्रकार
इसी वाद संख्या 6/2014 उनवान श्री
नाना बनाम नाना के विवाद में भी निहित
विवाद को मौके पर समझाया गया तथा विवाद
के निपटारा हेतु दोनों पक्षों के मध्य समझौता
की गई जिसमें दोनों पक्षों के मध्य यह तय
हुआ कि वाद संख्या 6/2014 के प्रतिवादीगण तथा
उनके परिवारजन व उनके मवेशी श्री देवीलाल

विपक्षी

मुकदमा ..... पत्रावली संख्या .....सन्.....

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
1097 में है होकर नहर को पार कर पश्चिम की ओर नाला बिला मौजा मीना के मकान के बगल में है होकर आगे स्थित उनकी खातेदारी एक के "तलाई वाले खेतों" तक छोड़ने जाने में इस वाद संख्या 6/2014 के प्रतिवादीगण की नाला बिला मौजा मीना - बंगला कोई रास्ता - रोक टोक - छेड़छाड़ आदि उत्पन्न नहीं करेंगे। दोनों राजस्व वाद संख्या 6/2014 व 31/2014 के समस्त पक्षकारों के उक्त मुख्य व्यवस्था से सहमत होने पर उक्त सहमति को लिखित रूप देते हुये मौका पर्चा बनाया गया जिसमें सभी पक्षकारों ने सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर अंगूठा निशानी दिये। इसी सहमति के आधार पर दोनों पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा जारी किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इस राजीनामे में पक्षकारों ने यह कथन किया है कि पूर्व उक्त मौका पर्चा में बतायी गई उक्त व्यवस्था से हम सभी पक्षकार सहमत व सन्तुष्ट हैं तथा अब हमारे बीच सुलह हो चुकी है एवं हमारे बीच अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः अब हम सभी पक्षकारान राजस्व वाद संख्या 6/2014, 31/2014 व प्र०सं० 15/2014 को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः इन सभी	

P.T.O.

प्रकाश को इसी सार पर समाप्त का दिया जाये।

मृतक प्रकाश के वारी व प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहने तथा उनके मध्य सुलह हो जाने से उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर प्रकाश के वाद को इसी सार पर समाप्त किया जाता है। इस पत्र मौका दिनांक 24/6/2015 में लिखाया की गई कार्यवाही समझौता की बालाबाद होने दोनों पक्ष आबाद रहेंगे। पत्रावली को तय शुमार होकर अभिलेख से कम की जावे। तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले में मय्ये हाम सुनाया गया।

24.6.15